संख्या-04/2015/951/12-4-15-409/2015

प्रेषक,

कृपा शंकर सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-4 लखनऊ : दिनॉक 21 जुलाई, 2015

विषय: श्री राम अवतार वर्मा, प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी, कार्यालय-उप कृषि निदेशक, सीतापुर की चिकित्सा हेतु अग्रिम धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर कृषि निदेशक (प्रशा0), उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-ए0सी0(चार)/08/चि0प्र0पू0-267/अग्रिम, दिनॉक 21-04-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उक्त पत्र में किये गये अनुरोध पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राम अवतार वर्मा, प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी, कार्यालय-उप कृषि निदेशक, सीतापुर के लीवर प्रत्यारोपण के उपचार हेतु मेदान्ता इन्स्टीटयूट आफ लीवर ट्रान्सप्लांट एण्ड रिजनरेटिव मेडिसिन अस्पताल, गुडगाव (हरियाणा) द्वारा उपलब्ध कराये गये व्यय प्राकलन प्रमाण पत्र के आधार पर रू0 10,05,000/-(रूपये दस लाख पॉच हजार मात्र) की धनराशि चिकित्सा अग्रिम के रूप में स्वीकृति निम्नवत शर्तो के साथ प्रदान करते है कि :-

(1) कर्मचारी समायोजन/प्रतिपूर्ति दावा इनके उपयोग किये जाने के तत्काल पश्चात, किन्तु उपचार समाप्त हो जाने के तीन माह अपश्चात प्रस्तुत करेगा।

(2) किसी भी स्थिति में दूसरा अग्रिम तब तक स्वीकृत नही किया जायेगा, जब तक कि पूर्ववर्ती अग्रिम समायोजित न कर लिया गया हो।

(3) प्रत्येक स्वीकर्ता प्राधिकारी परिशिष्ट ''घ'' में यथा विहित प्रारूप और रीति में एक रजिस्टर रखवायेगा।

(4) आहरण एवं वितरण अधिकारी अग्रिम हेतु बिल (बीजक) पर प्रमाणक देगा कि स्वीकृत अग्रिम की ऐसे रजिस्टर में प्रविश्टि कर ली गयी है।

(5) यदि अग्रिम के समायोजन के लिये चार महीनो के भीतर दावा नही प्रस्तुत किया जाता है तो अग्रिम की सम्पूर्ण धनराशि लाभार्थी के वेतन से मासिक किश्तो में काट ली जायेगी, जो सकल वेतन के आधे से अधिक नही होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) यदि चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत हो जाने के पश्चात उपचार नही प्रारम्भ होता है तो ऐसे अग्रिम की वापसी तीन महीनो में की जानी होगी और यदि ऐसे अग्रिम की वापसी तीन माह की अवधि के भीतर नही की जाती है तो दण्डात्मक व्याज भी आरोपित किया जायेगा, जिसकी गणना चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति के दिनॉक से की जायेगी।

(7) इसके अतिरिक्त उपचार पर व्यय की प्रतिपूर्ति एम्स की दरो पर की जायेगी।

2- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के अधीन लेखाशीर्षक "2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-109-विस्तार तथा किसानों का प्रशिक्षण-03-कृषि प्रसार परियोजना तथा प्रदर्शनियॉ-49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा और उसमे उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-एफ0ए0-1-224/दस-2015, दिनॉक 16 जुलाई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कृपा शंकर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-04/2015/951(1)/12-4-2015 तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।
(3) कोषाधिकारी, सीतापुर।
(4) श्री राम अवतार वर्मा, प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी, कार्यालय-उप कृषि निदेशक, सीतापुर।
(5) वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (सा0) अनुभाग-2
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।